रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 1999/अग्रहायण 5, 1921
No. 715] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 1999/AGRAHAYANA 5, 1921

ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुम्बई, 18 नवम्बर, 1999

ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया की उपविधियों में संशोधन

(12 मार्च 1999 को आयोजित अपनी बैठक में ओ.टी.सी.ई.आई. के बोर्ड द्वारा तथा 9 सितम्बर 1999 के अपने पत्र के जरिए सेबी द्वारा यथा अनुमोदित)

का. आ. 1172 (अ).—'प्रति-रसीद' तथा 'बिक्री पुष्टि पर्ची' शब्दों के विलोपन के लिए "एक्सचेंज में सौदे" से संबंधित उप-विधियों के अध्याय VII में संशोधन :

विक्रेय दस्तावेजों से संबंधित **खंड 11** हटाया जाता है

सीआर/एससीएस पर हस्ताक्षर करने से सबंधित **खंड 13** हटाया जाता है.

प्रतिनिधि सदस्य द्वारा सीआर/एससीएस पर हस्ताक्षर करने से संबंधित **खंड 13** हटाया जाता है.

"ग्राहक -दलाल संबंध हेतु मानदंड" संबंधी उप-विधि के अध्याय X में संशोधन

लेन-देन, नियत तारीख तथा निपटान से संबंधित उप-विधि के अध्याय X के खंड 07 में संशोधन किया जाता है और उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा :

- सदस्य को संविदा के निपटान के 24 घंटे के भीतर ग्राहक को सभी लेन-देनों के लिए एक संविदा नोट जारी करना चाहिए.
- जब तक ग्राहक ने अन्यथा अनुरोध न किया हो, सदस्य समाशोधन सस्था/एक्सचेंज द्वारा पे-आउट से दो कार्य-दिवस के भीतर ग्राहक को प्रतिभूतियां प्रदान करेगा/भुगतान करेगा

ग्राहक के खाते को परिसमाप्त करने से संबंधित उप-विधि के अध्याय X के खंड 09 (क) तथा (ख)में संशोधन किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा :

क) क्रय सौदा :

जब तक सदस्य के पास ग्राहक की समतुल्य राशि पहले से ही जमा न हो, सदस्य संविदा नोट जारी करने की तारीख से दो दिन के अदर या पे-इन डे (सबधित निपटान

अवधि के लिए एक्सचेंज द्वारा यथा निर्धारित) से पूर्व, जो भी पहले हो, भुगतान प्राप्त न होने पर प्रतिभूतियों को बेचकर क्रेता ग्राहक के सौदे को तुरंत परिसमाप्त कर सकता है. इस संबंध में सौदे(दों)से हुई किसी हानि को सदस्य के पास जमा ग्राहक की मार्जिन राशि से पूरा किया जा सकता है.

इससे होने वाले किसी लाभ की अदायगी सेवा प्रभार घटाने के बाद ग्राहक को की जायेगा.

ख) बिक्री सौदा :

यदि बिक्री ग्राहक काउंटर से संविदा नोट दिये जाने की तारीख से दो दिन के अंदर या सुपुर्दगी दिवस (संबंधित निपटान अवधि के लिए एक्सचेंज द्वारा यथा निर्धारित) से पूर्व, जो भी पहले हो, वैध अंतरण विलेखों के साथ प्रतिभूतियां परिदत्त करने में असफल रहता है तो सदस्य प्रतिभूतियों की खरीद कर बिक्री ग्राहक के सौदे को तुरंत परिसमाप्त कर सकता है.

इस संबंध में सौदे(दों)से हुई किसी हानि को सदस्य के पास पड़ी ग्राहक की मार्जिन राशि से पूरा किया जा सकता है.

इससे होने वाले किसी लाभ की अदायगी सेवा प्रभार घटाने के बाद ग्राहक को की जायेगा.

लेन-देन, अदायगी तारीख, निपटान तथा संविदाओं के निबटान से संबंधित उप-विधियों के अध्याय XI के खंड 06 तथा 07 में संशोधन :

खंड 06 में संशोधन किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

खंड 06 भुगतान करना तथा शेयर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

क्रय निवेशक काउंटर, जहां सौदा दर्ज किया गया है, पर संबंधित सदस्य को खरीदी गयी प्रतिभूतियों के लिए भुगतान करेंगे तथा बिक्री निवेशक बेचे गये शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों की सुपुर्दगी करेंगे.

खंड 07 में संशोधन किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

खंड 07 शेयर प्रमाणपत्र प्रेषित करना :

ग्राहक द्वारा बिक्री के मामले में

सदस्य ग्राहक से विधिवत् निष्पादित अंतरण विलेखा(खों) के साथ शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और अपनी निवल सुपुर्दगी स्थिति के आधार पर उसे समाशोधन निगम को प्रस्तुत करेगा.

ग्राहक द्वारा क्रय के मामले में

समाशोधन निगम से प्रतिभूतियां प्राप्त होने के बाद सदस्य ग्राहक द्वारा की गयी वास्तविक खरीदी के आधार पर ग्राहक को शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) की सुपुर्दगी करेगा.

चूक तथा क्षतिपूर्ति निधि से संबंधित उप-विधि के अध्याय XIV में संशोधन :

चूक तथा क्षतिपूर्ति निधि से संबंधित उप-विधि के अध्याय XIV के खंड 26 उप खंड (ख) में संशोधन किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

कुछ दावों पर विचार न किया जाये

चूक समिति चूककर्त्ता के विरुद्ध ऐसे किसी दावे पर विचार नहीं करेगा -

ख) जो ऐसी संविदा से उत्पन्न होता है जिसके संबंध में खातों का मिलान इन उप-विधियों, नियमों तथा विनियमों में निर्धारित ढंग से नहीं किया गया है अथवा जहां कोई मिलान नहीं किया गया है, यदि ऐसी संविदा के संबंध में संविदा नोट इन उप-विधियों, नियमों तथा विनियमों में विहित रूप में प्रदान नहीं किया गया है.

सदस्यता/डीलरशिप के अंतरण तथा अभ्यर्पण हेतु मानदंड से संबंधित उप-विधि के अध्याय III में संशोधन

अध्याय में संशोधन किया जाता है तथा इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

III क. डीलरशिप, सदस्यता तथा प्रायोजकता का अंतरण तथा अभ्यर्पण

संबद्ध प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर यथा निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन तथा संबद्ध प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के अधीन सदस्य/डीलर की विधिक प्रास्थिति का परिवर्तन या अंतरण निम्नलिखित रूप में किया जाये:

01. एक्सचेंज की सदस्यता/डीलरशिप/प्रायोजकता का अंतरण निम्नलिखित दो तरीके से किया जा सकता है :

क) **बिक्री के जरिए अंतरण** से ऐसा अंतरण अभिप्रेत है जिसमें सदस्यता/डीलरशिप एक पूर्णत पृथक् संस्था के पास चली जाती है.

ख) **प्रास्थिति के परिवर्तन द्वारा अंतरण** से ऐसा अंतरण अभिप्रेत है जिसमें वैयक्तिक संस्था से कार्पोरेट संस्था, भागीदारी संस्था से कार्पोरेट संस्था, कार्पोरेट संस्था से सहायक/समूह कंपनी, डीलर से सदस्य, डीलर से प्रायोजक, सदस्य से प्रायोजक तथा प्रायोजक से सदस्य को डीलरशिप/सदस्यता का उन्नयन/विधिक प्रास्थिति का अंतरण/परिवर्तन शामिल है और जहां अंतरिती संस्था में नियंत्रक हित उसी व्यक्ति/शेयरधारकों के समूह के पास निहित है जो अंतरक संस्था में संयुक्तत: या पृथकत: नियंत्रक हित रखते हैं.

02. बिक्री के जरिए अंतरण :

क. डीलरशिप की बिक्री :

क) **आवेदन :** यदि कोई डीलर बिक्री के जरिए एक्सचेंज की डीलरशिप को अंतरित करना चाहता है तो उसे एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, निबंधनों एवं शर्तों के अधीन ऐसी फीस, जमाराशि, कार्रवाई प्रभार तथा अन्य धनराशि के साथ ऐसे रूप में तथा ऐसे ढंग में, जो एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, एक्सचेंज के पास इस आशय का आवेदन करना होगा.

ख) **डीलर चयन समिति की सिफारिशें :** डीलर चयन समिति ऊॅपर उप खंड (1) के अनुसार किये गये सभी आवेदनों पर कार्रवाई करेगी तथा ओटीसी समिति को ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह उचित समझे .अंतरिती के पक्ष में डीलरशिप की बिक्री हेतु आवेदनों की समीक्षा करने/उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार डीलर चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा.

ग) **ओटीसी समिति का अंतिम निर्णय :** डीलरशिप की बिक्री के जरिए अंतरण के बारे में ओटीसी समिति का निर्णय अंतिम होगा.

घ) **नियमों, विनियमों तथा विधियों का अनुपालन :** अंतरिती संस्था को निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करने तथा *प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956* की सभी संबंधित अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों, प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों, अन्य संबंधित कानूनों तथा एक्सचेंज की उप-विधियों, नियमों एवं विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद ही एक्सचेंज में डीलर के रूप में शामिल किया जायेगा.

ङ) **कार्रवाई प्रभार :** डीलरशिप की बिक्री हेतु प्रभार की अदायगी एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप तथा ढंग में एक्सचेंज को की जायेगी.

च) **प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं :** एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तथा दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्राधिकार होगा.

ख. सदस्यता की बिक्री :

क) **आवेदन :** यदि कोई सदस्य बिक्री के जरिए एक्सचेंज की सदस्यता को अंतरित करना चाहता है तो उसे एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, निबंधनों एवं शर्तों के अधीन ऐसी फीस, जमाराशि, कार्रवाई प्रभार तथा अन्य धनराशि के साथ ऐसे रूप में तथा ऐसे ढंग में, जो एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, एक्सचेंज के पास इस आशय का आवेदन करना होगा.

ख) **सदस्य चयन समिति की सिफारिशें :** सदस्य चयन समिति ऊपर उप खंड (1) के अनुसार किये गये सभी आवेदनों पर कार्रवाई करेगी तथा एक्सचेंज के बोर्ड को ऐसी सिफारिशें करेगी जो यह उचित समझे. अंतरिती के पक्ष में सदस्यता की बिक्री हेतु आवेदनों की समीक्षा करने / उन्हें अस्वीकार करने का विवेक तथा अधिकार सदस्य चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा.

ग) **निदेशक मंडल का अंतिम निर्णय :** सदस्यता की बिक्री के जरिए अंतरण के बारे में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

घ) **नियमों, विनियमों तथा विधियों का अनुपालन :** अंतरिती संस्था को निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करने तथा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 की संबंधित सभी अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों, प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों, अन्य संबंधित कानूनों तथा एक्सचेंज की उप-विधियों, नियमों एवं विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद ही एक्सचेंज में सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा.

ङ) **कार्रवाई प्रभार :** सदस्यता की बिक्री हेतु प्रभार की अदायगी एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप तथा ढंग में एक्सचेंज को की जायेगी.

च) **प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं :** एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तथा दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्राधिकार होगा.

03. प्रास्थिति के परिवर्तन के जरिए डीलरशिप/सदस्यता का अंतरण :

i. निम्नलिखित मामलों में प्रास्थिति में परिवर्तन के जरिए सदस्यता/डीलरशिप के अंतरण की अनुमति है :

क) वैयक्तिक संस्था से कार्पोरेट संस्था को अंतरण
ख) भागीदारी संस्था से कार्पोरेट संस्था को अंतरण
ग) कार्पोरेट संस्था से सहायक/समूह कंपनी को अंतरण
घ) सहायक/समूह कंपनी से नियंत्रक/समूह कंपनी को अंतरण

ii. निम्नलिखित अंतरणों की अनुमति नहीं है :
क. कार्पोरेट संस्था से भागीदारी
ख. वैयक्तिक संस्था से भागीदारी

iii. **प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं** : एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तथा दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्राधिकार होगा.

04. प्रवर्तक सदस्यता का अंतरण :

i. एक्सचेंज के प्रवर्तक सदस्यों को अलग सदस्यता के अर्जन के लिए भुगतान किये बिना ऐसी संस्थाओं को अपनी संस्था अंतरित करने की अनुमति है जो एक्सचेंज के निर्धारित दिशानिर्देशों तथा/या निदेशों के अंतर्गत अनुमत हैं.

ii. अंतरण के अनुमोदन के बाद अंतरिती संस्था को वार्षिक शुल्क, कार्रवाई शुल्क तथा लागू अन्य प्रभार अदा करना होगा.

05. एक्सचेंज की डीलरशिप/सदस्यता का अभ्यर्पण :

क) **आवेदन :** एक्सचेंज की सदस्यता/डीलरशिप अभ्यर्पित करने के इच्छुक सदस्य/डीलर एक्सचेंज के पास कारण उल्लिखित करते हुए इस आशय का आवेदन देकर ऐसा कर सकता है.

ख) **ओटीसी समिति का अंतिम निर्णय:** डीलरशिप/सदस्यता के अभ्यर्पण के बारे में ओटीसी समिति का निर्णय अंतिम होगा.

ग) **सदस्य/डीलर द्वारा अनुपालन** : अपनी सदस्यता/डीलरशिप को अभ्यर्पित करने के इच्छुक सदस्य/डीलर को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा :

- ऐसे भावी दावों, देयताओं, हानियों, कार्यवाहियों के विरुद्ध एक्सचेंज को क्षतिपूरित करते हुए निर्धारित फार्मेट में क्षतिपूर्ति-पत्र प्रस्तुत करना, जो सदस्यता/डीलरशिप के क्रियाकलापों के संबंध में उत्पन्न हो सकती हैं.
- समस्त बकाया देयराशियां जैसे वार्षिक शुल्क, टर्नओवर शुल्क, सेबी शुल्क आदि अदा करना.
- सेबी से 'कोई देयता नहीं प्रमाणपत्र ' प्राप्त करना.
- सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा उप-दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के लिए अभ्यर्पित करना.

घ) **एक्सचेंज द्वारा शुल्क की वापसी** : सदस्यता/डीलरशिप के अभ्यर्पण के अनुमोदन के बाद एक्सचेंज सदस्य/डीलर को सिर्फ उन्हीं राशियों को वापस करेगा जिन्हें वापसी-योग्य कहा गया है, जैसे निपटान जमाराशि/मूल न्यूनतम पूंजी.

ङ) **प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं** : एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक को उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तथा दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्राधिकार होगा.

'एक्सचेंज में सौदे ' से संबंधित उप-विधि के अध्याय VII में संशोधन :

कागजविहीन स्वरूप में ट्रेडिंग का प्रावधान करने के लिए अध्याय VII में निम्नलिखित खंड, जिसे इसमें इसके पश्चात् खंड 17 कहा गया है, शामिल किया जाता है :

अध्याय VII. एक्सचेंज में सौदे
खंड 17. कागजविहीन स्वरूप में ट्रेडिंग

इसमें इसके ऊपर निहित किसी बात पर ध्यान दिये बिना एक या अधिक ट्रेडिंग खंडों में एक्सचेंज में सौदे कागजविहीन (डिमैटिरियलाइज) स्वरूप में किये जा सकते हैं.ऐसे सौदों का स्वरूप सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशानिर्देशों तथा परिपत्रों के साथ- साथ एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा परिपत्रों के अनुसार होगा.

समितियों से संबंधित उपविधि के अध्याय II में संशोधन :

सदस्य/डीलर/प्रायोजक चयन समिति की संख्या, संघटन तथा गठन के लिए प्रावधान सम्मिलित करते हुए अध्याय II के खंड 5 के उप खंड (01) में संशोधन किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

5. सदस्य/डीलर/प्रायोजक चयन समिति :
01. नियुक्ति

सदस्य/डीलर/प्रायोजक चयन समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें अधिकतम 6 सदस्य होंगे और जिसमें एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक, अधिकतम एक जनप्रतिनिधि, अधिकतम एक सेबी नामिति, अधिकतम एक ओटीसी समिति सदस्य तथा अधिकतम दो अतिरिक्त सदस्य, जो बोर्ड द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें 'अन्य नामिति' के रूप में जाना जाएगा, शामिल होंगे.

[सं. 4863/99/एल.पी./एल. एवं एस./160]

कृते ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

जोसेफ एच. बास्को, प्रबंध निदेशक

OTC EXCHANGE OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th November, 1999

AMENDMENTS TO THE BYE-LAWS OF OTC EXCHANGE OF INDIA.

(As approved by the Board of OTCEI at its meeting held on March 12, 1999 and by SEBI vide its letter dated September 9, 1999).

S.O. 1172 (E).—AMENDMENTS TO CHAPTER VII OF THE BYE-LAWS RELATING TO "DEALINGS ON THE EXCHANGE" FOR DELETION OF THE WORDS 'COUNTER RECEIPT(S)' AND 'SALES CONFIRMATION SLIP':

Clause 11 relating to Tradable Documents to stand deleted.
Clause 13 relating to signing of CR/SCS to stand deleted.
Clause 14 relating to signing of CR/SCS by Representative Member to stand deleted.

AMENDMENTS TO CHAPTER X OF THE BYE-LAWS ON "NORMS FOR CLIENT BROKER RELATIONSHIP";

Clause 07 of Chapter X of Bye-laws relating to Transactions, Due Dates and Settlements stands amended and shall read as follows :

- The Member must issue to the client a Contract Note for all transactions within 24 hours of the execution of the contract.
- The Member shall deliver the securities/make payments to the client within two working days of pay out by the Clearing entity/Exchange, unless the client has requested otherwise.

Clause 09 (a) and (b) of Chapter X of Bye-laws relating to Closing out of Clients Account stands amended and shall read as follows :

a) Purchase Transactions

A Member may forthwith close-out the transaction(s) of a buying client by selling the securities, on non-receipt of full payment within two days of the Contract Note having been issued or before pay-in day (as fixed by the Exchange for the concerned settlement period), whichever is earlier, unless the client already has an equivalent credit with the Member.

Any loss on the transaction(s) incurred in this regard, can be met from the margin money of the client standing with the Member.

Any profit arising therefrom shall be paid to the client after deducting service charges.

b) Sale Transactions

A Member may forthwith close-out the transaction(s) of selling client, by effecting purchases of the securities, on his failure to deliver the securities sold alongwith the valid transfer deeds within 2 days of the Contract Note having been delivered

by the counter, or before the delivery day, (as fixed by the Exchange for the concerned settlement period), whichever is earlier.

Any loss on the transaction(s) incurred in this regard can be met from the margin money of the client standing with the Member.

Any profit arising therefrom shall be paid to the client after deducting service charges.

AMENDMENTS TO CLAUSE(S) 06 AND 07 OF CHAPTER XI OF THE BYE-LAWS RELATING TO TRANSACTION, DUE DATES, SETTLEMENTS AND CLOSING OUT OF CONTRACTS :

Clause 06 stands amended and shall read as follows :

Clause 06 Tendering of Payment and Share Certificate

Buying investors shall tender payment for securities bought and selling investors must give delivery of Share Certificate(s) for shares sold to the respective Member at the counter where the transaction is entered.

Clause 07 stands amended and shall read as follows :

Clause 07 Forwarding of Share Certificate

In case of Sale by client

The Members shall receive the Share Certificate/(s) alongwith the duly executed transfer deed/(s) from the client and submit the same to the Clearing Corporation based on his net deliverable position.

In case of Purchase by client

The Members shall after receiving the securities pay-out from the Clearing Corporation, deliver the Share Certificate/(s) to the client based on the actual purchases made by the client.

AMENDMENTS TO CHAPTER XIV OF THE BYE-LAWS RELATING TO DEFAULT AND COMPENSATION FUND :

Clause 26 sub-clause(b) of Chapter XIV of the Bye-laws on Default and Compensation Fund stands amended and shall read as follows :

26. Certain claims not to be entertained

The Default Committee shall not entertain any claim against a defaulter -

b) Which arises out of a contract in respect of which comparison of accounts has not been made in the manner prescribed in these Bye-laws, Rules and Regulations or when there has been no comparison if a Contract Note in respect of such contract has not been rendered as provided in these Bye-laws, Rules and Regulations.

AMENDMENTS TO CHAPTER III-A OF THE BYE-LAWS PERTAINING TO NORMS FOR TRANSFER AND SURRENDER OF MEMBERSHIP/ DEALERSHIP

The Chapter stands amended and shall read as follows :

III-A. TRANSFER AND SURRENDER OF DEALERSHIP, MEMBERSHIP AND SPONSORSHIP.

Subject to such terms and conditions as the Relevant Authority may prescribe from time to time and to the prior written approval of the Relevant Authority, conversion or transfer of the legal status of a Member/Dealer may be effected as follows :

01. Membership/Dealership/Sponsorship of the Exchange can be transferred in the following two ways :

a) ***Transfer by way of sale*** means transfer wherein the Membership/ Dealership vests in an absolute different entity.

b) ***Transfer by change of status*** means and includes transfer/conversion of legal status / upgradation of Dealership/Membership from individual entity to corporate entity, partnership entity to corporate entity, corporate entity to a subsidiary/group company, Dealer to Member, Dealer to Sponsor, Member to Sponsor and Sponsor to Member, where the controlling interest in the transferee entity vests in the hands of the same individual/groups of shareholders who jointly or severally hold controlling interest in the transferor entity.

02. Transfer by way of Sale

A. Sale of Dealership :

a) ***Application :*** A Dealer desirous of transferring the Dealership of the Exchange by way of sale shall make an application to that effect to the Exchange alongwith such fees, deposits, processing charges, transfer charges and other monies in such form and in such manner as may be specified by the Exchange from time to time, subject to the criteria, terms and conditions prescribed by the Exchange from time to time.

b) ***Recommendations of the Dealer Selection Committee :*** The Dealer Selection Committee shall process all the applications made in accordance with sub-clause (1) above and shall make such recommendations as it may deem fit in this regard to the OTC Committee. The Dealer Selection Committee reserves the right to review/reject applications for sale of Dealership in favour of the transferee.

c) ***Final decision of the OTC Committee :*** The decision of the OTC Committee in respect of the transfer by way of sale of the Dealership shall be final.

d) ***Compliance with rules, regulations and statutes :*** The transferee entity shall be admitted as Dealer on the Exchange only after fulfilling the prescribed selection criteria and compliance with all relevant requirements of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules thereunder, provisions of the Companies Act., 1956, Securities and Exchange Board of Act, 1992 and the rules and regulations framed

thereunder, any other related statutes and the Bye-laws, Rules and Regulations and guidelines of the Exchange.

e) ***Processing Charges :*** The processing charges for the sale of the Dealership shall be paid to the Exchange, in the form and manner as maybe prescribed by the Exchange from time to time.

f) ***Procedural formalities :*** The Managing Director of the Exchange shall have the authority to prescribe the procedural formalities and guidelines to give effect to the above.

B. Sale of Membership :

a) ***Application :*** A Member desirous of transferring the Membership of the Exchange by way of sale shall make an application to that effect to the Exchange alongwith such fees, deposits, processing charges, transfer charges and other monies in such form and in such manner as may be specified by the Exchange from time to time, subject to the criteria, terms and conditions prescribed by the Exchange.

b) ***Recommendations of the Member Selection Committee :*** The Member Selection Committee shall process all the applications made in accordance with sub-clause (1) above and shall make such recommendations as it may deem fit in this regard to the Board of the Exchange. The Member Selection Committee reserves the discretion and the right to review/reject applications for sale of Membership in favour of the transferee.

c) ***Final decision of the Board of Directors :*** The decision of the Board of Directors in respect of the transfer of the Membership by way of sale shall be final.

d) ***Compliance with rules, regulations and statutes :*** The transferee entity shall be admitted as Member on the Exchange only after fulfilling the prescribed selection criteria and compliance with all relevant requirements of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules thereunder, provisions of the Companies Act., 1956, Securities and Exchange Board of Act, 1992 and the rules and regulations framed thereunder, any other related statutes and the Bye-laws, Rules and Regulations and guidelines of the Exchange.

e) ***Processing Charges :*** The processing charges for the sale of the Membership shall be paid to the Exchange, in the form and manner as maybe prescribed by the Exchange from time to time.

f) ***Procedural formalities :*** The Managing Director of the Exchange shall have the authority to prescribe the procedural formalities and guidelines to give effect to the above.

03. Transfer of Dealership/Membership by way of Change of Status :

i. Transfer of Membership/Dealership by change of status is allowed in the following cases:

a) Transfer from individual entity to corporate entity
b) Transfer from partnership entity to corporate entity
c) Transfer from corporate entity to a subsidiary/group company
d) Transfer from subsidiary/group company to holding/group company.

ii. The following transfers are not permitted :
   a. Corporate entity to Partnership
   b. Individual entity to Partnership

iii. ***Procedural formalities :*** The Managing Director of the Exchange shall have the authority to prescribe the procedural formalities and guidelines to give effect to the above.

04. Transfer of Promoter Membership :

i. Promoter Members of the Exchange are allowed to transfer their Membership to such entities as maybe permitted under the prescribed guidelines and/or directives of the Exchange, without having to pay for acquisition of separate Membership.

ii. On approval of transfer, the transferee entity would have to pay the annual fees, processing fees and any other applicable charges.

05. Surrender of Dealership/Membership of the Exchange :

a) ***Application :*** A Member/Dealer desirous of surrendering the Membership/Dealership on the Exchange may do so by making an application to that effect to the Exchange and stating the reasons for the same.

b) ***Final Decision of the OTC Committee :*** The decision of the OTC Committee in respect of the surrender of the Dealership/Membership shall be final.

c) ***Compliance by Member/Dealer :*** The Member/Dealer seeking to surrender their Membership/Dealership shall comply with the following :
   - Submit an indemnity in the prescribed format indemnifying the Exchange against any future claims, liabilities, losses, proceedings that may arise in respect of the activities of the Membership/Dealership.
   - Pay all pending dues like annual fees, turnover fees, SEBI fees, etc.
   - Obtain 'No Due Certificate' from SEBI.
   - Surrender the SEBI registration certificate and the sub-broker's registration certificate for cancellation.

d) ***Refund of Fees by the Exchange :*** The Exchange, on approval of the surrender of the Membership/Dealership shall refund to the Member/Dealer only those amounts which have been stated as being refundable, like Settlement Deposit/Base Minimum Capital.

e) ***Procedural formalities :*** The Managing Director of the Exchange shall have the authority to prescribe the procedural formalities and guidelines to give effect to the above.

AMENDMENTS TO CHAPTER VII OF THE BYE-LAWS PERTAINING TO 'DEALINGS ON THE EXCHANGE' :

The following clause hereinafter called Clause 17 is incorporated in Chapter VII providing for Trading in Dematerialised Mode :

Chapter VII. Dealings on the Exchange.

Clause 17. Trading in Dematerialised mode

Notwithstanding anything contained hereinabove, dealings on the Exchange in one or more of the trading segments can be effected in the dematerialised mode. The nature of such dealings will be as per the guidelines and circulars prescribed by the Exchange from time to time in conjunction with the SEBI guidelines and circulars as may be issued from time to time to that effect.

AMENDMENTS TO CHAPTER II OF THE BYE-LAWS PERTAINING TO COMMITTEES :

Amendment to sub-clause (01) of clause 5 of Chapter II by incorporating provisions for the strength, composition and constitution of the Member/Dealer/Sponsor Selection Committee stands amended and shall read as follows :

5. Member/Dealer/Sponsor Selection Committee

01. Appointment

The Member/Dealer/Sponsor Selection Committee with a maximum strength of six members shall be appointed by the Board of Directors and shall comprise of the Managing Director of the Exchange, not more than one public representative, not more than one SEBI nominee, not more than one OTC Committee member and not more than two additional members being such persons nominated by the Board to be known as 'other nominees'.

[No. 4863/99/LP/L&S/160]

For OTC Exchange of India

JOSEPH H. BOSCO, Managing Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.